


शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर

जिला-बालोद (छ.ग.) 491227

फोन - 07749-265461



PROSPECTUS

2019-20



प्राचार्य की कलम से.....

प्रिय विद्यार्थियों,

शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरुर सन् 2007 से इस शहर में संचालित है । महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है ।

वर्तमान में यह महाविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबद्ध है । महाविद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्यापन के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है । जिसमें छात्र / छात्राएं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ समाज एवं देश के प्रति अपनी जवाबदारी को पूरा कर सकें ।

मैं नये सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

मानव जीवन बहुमूल्य है यह ईश्वर का वरदान है । इसे यू ही व्यर्थ न जाने दें । सौभाग्य से हमें विद्या अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है इसमें जितना हम त्याग, तपस्या व समर्पण करेंगे उपलब्धि भी हमें उतनी ही अधिक प्राप्त होगी जो हमारे भविष्य को उज्ज्वल करेंगी ।

नये सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

डॉ. जे.एल.बघेल

प्राचार्य

विवरणिका

सत्र 2019-20



शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरुर

जिला - बालोद (छ.ग.)

www.gcgurur.org.in

अनुक्रमणिका

इ	कोर वेल्युज	...	03
×	लक्ष्य एवं उद्देश्य	...	03
×	संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय	...	03
×	प्रवेश संबंधी नियमावली	...	04
×	विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता	...	05
×	परीक्षा संबंधी नियम	...	05
×	महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र	...	05
×	महाविद्यालय शैक्षणिक कलेण्डर 2019-20	...	06
×	अकादमिक कलेण्डर	...	07
×	शुल्क विवरणिका-2019-20	...	08
×	अध्यापन मंडल की सूची	...	09
×	सहयोगी कर्मचारियों की सूची	...	09
×	छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें	...	10
×	रेमेडियल/ट्यूटोरियल/विशेष कक्षाएँ	...	12
×	शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ	...	13
×	संगोष्ठी/कार्यशाला/वाद-विवाद/प्रश्नमंच/विज्ञान प्रदर्शनी	...	13
×	गतिविधि समितियाँ	...	14
×	पुरस्कार वितरण समारोह	...	14
×	आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ	...	14
×	नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता ।	...	15
×	रैंगिंग	...	15
×	अपराधों का विचारण	...	16
×	रैंगिंग क्या है ?	...	16
×	रैंगिंग का स्वरूप	...	16

संलग्न प्रपत्र

1. Student's Bio-Data
2. अकादमिक विवरण पत्रिका
3. अमहाविद्यालयीन छात्र के रूप में प्रायोगिक कार्य हेतु पंजीयन आवेदन पत्र
4. नियमित प्रवेश के लिये आवेदन पत्र
5. पावती

CORE VALUES (कोरवेल्यूज)

Unity and Integrity.	एकता एवं अखण्डता
Love & Peace For Everyone.	सभी के लिये प्रेम तथा शांति
Team Work & Shared Responsibility.	सामुहिक भावना एवं उत्तरदायित्वों की भागीदारी
Mutual respect and Transparency.	आपसी आदर एवं पारदर्शिता

GOALS & OBJECTIVES (लक्ष्य एवं उद्देश्य)

1. To achieve the best possible standards in education, research and out reach programmes.
शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्र में संभव गुणवत्ता प्राप्त करना !
2. To promote academic programmes relevant to socioeconomic need of the nation.
राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन !
3. To promote networking with various centres/departments and labs around the country
राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं व प्रयोगशालाओं के साथ संबंध बनाये रखना !
4. To promote skill oriented programme.
विभिन्न क्षेत्रों में कौशलोन्मुख कार्यक्रमों को विकसित करना !
5. To enhance the Quality of the learning and teaching process at U.G. level.
स्नातक स्तर पर अध्ययन एवं अध्यापन की गुणवत्ता को बढ़ाना !
6. To bring Forward the inherent talents of students and encourage creativity
विद्यार्थियों की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा सीखने हेतु रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना !
7. To develop awareness towards social & environmental problems.
सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना !

संचालित पाठ्यक्रम एवं अध्ययन के विषय

स्नातक स्तर :- किसी भी संकाय के प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन के अतिरिक्त तीन विषय समूहों में एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा ।

विषय समूह

कला संकाय विषय
(बी.ए.)
समाजशास्त्र
राजनीति शास्त्र
भूगोल

विज्ञान संकाय विषय
(बी.एस.सी.)
रसायन
वनस्पति शास्त्र
प्राणी शास्त्र
गणित/भौतिक

वाणिज्य संकाय
(बी.काम)
विश्वविद्यालय द्वारा
निर्धारित समस्त
अनिवार्य विषय समूह

टीप:- प्रवेश लेने के बाद चयनित विषय में किसी भी स्तर पर परिवर्तन नहीं होगा अतः विषयों के चयन में पूरी सावधानी बरतें ।

प्रवेश संबंधी नियमावली

1. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ग-दर्शन सिद्धान्त के आधार पर गुणानुक्रम से की जावेगी।
2. प्रवेश -शुल्क जमा करने पर ही वैध माना जावेगा।
3. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थी एवं एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को उसी कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
4. हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) को छोड़कर अन्य किसी दूसरे विश्वविद्यालय से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा सेन्ट्रल बोर्ड नयी दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड से 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को भी पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित शुल्क के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियों के लिए सूचना पटल का अवलोकन करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी प्रवेश आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
7. क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रतिभावान छात्रों को नियमित अभ्यास एवं प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था के साथ प्राथमिकता दी जावेगी।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को समग्र निर्धारित नियमों एवं परिनियमों का पालन करने के साथ-साथ कम से कम 75% प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
9. यदि विद्यार्थी एक संकाय से दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तियों से 5 % काटकर निर्धारित किया जायेगा।
10. प्रवेश संबंधी प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 % उपस्थिति होगी तथा वह एन.एस.एस /रेडक्रास सोसायटी में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापक के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम :-

- छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगावेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येतर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्बिसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर उधर थूकना दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आन्दोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. विद्यार्थी महाविद्यालय के सामग्रियों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम , 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

महाविद्यालय शैक्षणिक कलेण्डर 2019-20

माह	दिनांक	विवरण
जून	01.06.2019 से 31.07.2019 तक	प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ
जुलाई	07.07.2019 से 14.07.2019 तक 16.07.2019 से 30.07.2019 तक 31.07.2019 प्रवेश की अंतिम तिथि	वन महोत्सव खेलकूद स्पर्धा प्रारंभ (इनडोर/आउटडोर) (शासन कुलपति से प्राप्त आदेश पर तिथि में परिवर्तन संभव)
अगस्त	01.08.2019 01.08.2019 से 25.08.2019 15.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 31.08.2019	प्रथम युनिट परीक्षा रा.से.यो. (पंजीयन) स्वतंत्रता दिवस छात्र संघ गठन चुनाव प्रक्रिया द्वितीय यूनिट परीक्षा छात्र संघ शपथ ग्रहण
सितम्बर	05.09.2019 08.09.2019 से 14.09.2019 14.09.2019 24.09.2019 सितम्बर अंतिम सप्ताह	शिक्षक दिवस अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह हिन्दी दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस प्रथम सत्र परीक्षा (स्नातक कक्षाओं का आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा)
अक्टूबर	01.10.2019 02.10.2019 16.10.2019 24.10.2019 से 30.10.2019 31.10.2019 माह के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह के मध्य	स्वैच्छिक रक्तदान गांधी जयंती विश्वस्वाद्य दिवस यातायात नियंत्रण सप्ताह राष्ट्रीय एकता दिवस रा.से.यो.विशेष शिविर का आयोजन

नवम्बर	04.11.2019 से 07.11.2019	तृतीय युनिट परीक्षा
	14.11.2019	बालदिवस
	15.11.2019	शैक्षणिक भ्रमण
	19.11.2019	मातृ दिवस
	19.11.2019 से 25.11.2019	कौमी एकता दिवस
	19.11.2019	पर्यावरण चेतना माह प्रारंभ
	25.11.2019	गुरु नानक जयंती
	नवम्बर अंतिम सप्ताह	द्वितीय सत्र परीक्षा
दिसम्बर	01.12.2019	विश्व एड्स दिवस
	05.12.2019	अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस
	10.12.2019	विश्व मानवाधिकार दिवस
	18.12.2019	पर्यावरण चेतना माह समापन
	18.12.2019	गुरु यासीदास जयंती
	20.12.2019	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन
	19.12.2019	इनडोर आउटडोर
	21.12.2019 22.12.2019 23.12.2019	चतुर्थ युनिट परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण वार्षिक उत्सव
जनवरी	12.01.2020	राष्ट्रीय युवा दिवस
	12.01.2020 से 19.01.2020	राष्ट्रीय युवा सप्ताह
	22.01.2020 से 24.01.2020	प्री फाइनल परीक्षा
	26.01.2020	गणतंत्र दिवस
	माह के अंतिम सप्ताह में	भौगोलिक भ्रमण/शैक्षणिक भ्रमण
फरवरी		प्रायोगिक परीक्षाएं
मार्च		वार्षिक परीक्षाएं

(विश्वविद्यालय का अकादमिक कलेण्डर

- (सत्र प्रारंभ : 01 जून
- (प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार) : 16 जून स 15 जुलाई
- (कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि : 31 जुलाई

अन्य समस्त गतिविधियां विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा घोषित कैलेण्डर के अनुसार सम्पादित होगी ।

विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत् मूल्यांकन के तहत निम्नानुसार आंतरिक परीक्षाएं आयोजित होगी ।

- प्रथम यूनिट अगस्त ● चतुर्थ यूनिट दिसम्बर
- द्वितीय यूनिट सितम्बर ● अर्धवार्षिक परीक्षा/प्री फाइनल परीक्षा जनवरी
- त्रैमासिक परीक्षा अक्टूबर ● वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा फरवरी
- तृतीय यूनिट नवम्बर

शुल्क विवरणिका-2019-20

शुल्क विवरण

कक्षा	पी.डी.	सम्मिलित	रेडक्रास शुल्क	निधिशासन	जनभागीदारी	कुल
B.Sc. I	421=00	69=00	25=00	140=00	500=00	1155.00
B.Sc. II	261=00	69=00	25=00	140=00	500=00	995.00
B.Sc. III	261=00	69=00	25=00	140=00	500=00	995.00
B.A. I	421=00	69=00	25=00	140=00	500=00	1155.00
B.A. II	261=00	69=00	25=00	140=00	500=00	995.00
B.A. III	261=00	69=00	25=00	140=00	500=00	995.00
B.Com.I	401=00	69=00	25=00	120=00	500=00	1115.00
B.CoM. II	241=00	69=00	25=00	120=00	500=00	955.00
B.Com.III	241=00	69=00	25=00	120=00	500=00	955.00

1. शासन द्वारा समस्त छात्राओं को एवं अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के छात्रों को रु. 115.00 शिक्षण शुल्क में छूट है।
2. बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. भाग दो और तीन के नियमित छात्राओं को सुरक्षा निधि एवं नामांकन शुल्क 60+100 = 160.00 रु. नहीं लगेगा।

आर्थिक दण्ड (Penal Charges)

1. जनरल फाईन (गैर प्रायोगिक विषय) : रु. 10/-
(प्रायोगिक विषय) : रु. 10/- प्रति प्रायोगिक विषय
2. ग्रंथालय में समय पर पुस्तक जमा नहीं करने पर : रु. 25 पैसे/-प्रतिदिन
3. प्रवेश हेतु जारी सूची की तिथि के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं करने पर 100/- विलंब शुल्क(07 दिवस तक) उसके पश्चात प्राचार्य की अनुमति लेनी होगी।
4. अन्य यदि कोई हो तो सूचना पटल पर सूचना दी जायेगी।

महाविद्यालय परिवार

अध्यापक मंडल की सूची

क्र	विभाग	प्राध्यापकों के नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	समाजशास्त्र	डॉ.जे.एल.बघेल	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.एम.फिल,पी.एच.डी
2.	हिन्दी	श्री खेमलाल रावटे	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.,U.G.C.NET
3.	भौतिक शास्त्र	श्री लेखराम हिरवानी	सहायक प्राध्यापक	एम.एस.सी,एम.फिल, C.G.SET
4.	राजनीति शास्त्र	डॉ. वॉय.के.धुर्वे	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.,एम.फिल.,पी.एच.डी,U.G.C.NET
5.	भूगोल	रनेयल जोशी	सहायक प्राध्यापक	एम.ए.,U.G.C.NET,C.G.SET
6.	अंग्रेजी	01 पद रिक्त है	} रिक्त पदों पर शासन द्वारा अतिथि ब्याख्याता की नियुक्ति प्रतिवर्ष की जाती है ।	
7.	प्राणीशास्त्र	01 पद रिक्त है		
8.	रसायनशास्त्र	01 पद रिक्त है		
9.	वाणिज्य	02 पद रिक्त है		
10.	गणित	01 पद रिक्त		

सहयोगी कर्मचारियों की सूची

क्र.	पद	कर्मचारियों के नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	सहायक ग्रेड - 1	श्री दिनेश कुमार सोनी	एम.ए.
2.	सहायक ग्रेड - 2	रिक्त	-
3.	सहायक ग्रेड - 3	अनिशा परदेशी	एम.ए.
4.	प्रयोग शाला	रिक्त	
	तकनिशियन	2. श्रीमती सविता गिलहरे	बी.एस.सी
5.	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	1. श्री भुवन लाल धुव	बी.ए.
		2. श्री राजन सिंह	12 वीं., डी,सी.ए

छात्र-छात्राओं हेतु सुविधायें

1. विद्यार्थी सहायता निधि :-

गरीबी रेखा के नीचे के आय समूह के जरूरत मंद विद्यार्थियों को इस निधि से उपलब्धता एवं संबंधित शिक्षक समिति की अनुशंसा के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. छात्रवृत्ति :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

1. पोष्ट मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति -

ST, SC, OBC के छात्र-छात्राओं को पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की सुविधा शासन द्वारा दी जाती है।

छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा-

(अ) OBC के लिए 1,00,000 रुपये तक (परिवार की वार्षिक आय)

(ब) ST/SC के लिए 2,00,000 रुपये तक (परिवार का वार्षिक आय)

छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन आनलाईन द्वारा भरा जावेगा। अंतिम तिथि शासन के नियमानुसार होगी।

2. अल्प संख्यक छात्रवृत्ति -

अल्प संख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को मेरिट कम-मीन्स छात्रवृत्ति भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विगत वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले एवं 2500000 रुपये तक अभिभावकों की वार्षिक आय वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों से मेरिट कम-मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वर्ष 2018-19 हेतु आवेदन पत्र भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आन लाईन आवेदन हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई है। भारत सरकार के वेबसाइट <http://momaschloarsip.gov.in> में आन लाईन आवेदन करें।

क्रमांक	निर्धारित प्रक्रिया	निर्धारित तिथि (नवीन हेतु)	निर्धारित तिथि (नवीनीकरण हेतु)
1.	छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन करने की तिथि	30 सितम्बर 2019	31 दिसम्बर 2019

इस छात्रवृत्ति हेतु मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, आवेदन कर सकेंगे एवं अंतिम तिथि के पश्चात जमा स्वीकर नहीं की जावेगे।

3. BPL राज्य छात्रवृत्ति : राज्य शासन के नियमानुसार BPL कार्डधारी परिवार के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्ति सुविधा दी जाती है। उक्त छात्रवृत्ति के लिए छात्र-छात्राओं को बैंक अथवा पोष्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर पासबुक एवं BPL कार्ड का सत्यापित छायाप्रति छात्रवृत्ति फार्म में संलग्न करना आवश्यक है अंतिम तिथि एवं अन्य दस्तावेज शासन के नियमानुसार।

4. केन्द्रीय क्षेत्रीय छात्रवृत्ति - यह छात्रवृत्ति प्रवीण सूची में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपये से अधिक न हो छात्रवृत्ति सुविधा केन्द्र शासन द्वारा दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण जानकारी मण्डल की वेबसाईट <http://momaschloarsip.gov.in> पर उपलब्ध है।

नोट : 1. उपरोक्त छात्रवृत्ति में से विद्यार्थी को उस सत्र में केवल एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. छात्रवृत्ति संबंधी अन्य जानकारी विद्यार्थी को सूचना बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर दी जावेगी।

3. पुस्तकालय एवं वाचनालय :-

इस महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तके पत्रिकाएँ, समाचार पत्र आदि विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध है।

4. Girls Common room:-

इस महाविद्यालय में छात्राओं के लिए Girls Common room की व्यवस्था है।

5. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :-

इस प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है, जो विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न तरह की शिकायतों का निवारण करती है।

6. कैरियर मार्गदर्शन एवं पदस्थापना प्रकोष्ठ :-

इस प्रकोष्ठ के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों की एक समिति गठित की जाती है जो कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है एवं उन्हें कैरियर हेतु सुझाव और सुविधा उपलब्ध कराती है। इस वर्ष से यह समिति विभिन्न क्षेत्रों में सेवा के लिए Campus Interview आयोजित करने का प्रयास करेगी।

7. महिला परामर्श प्रकोष्ठ (Women Counselling Cell):-

इस महाविद्यालय के विशेषज्ञों की एक समिति महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श (Counselling) के द्वारा मार्गदर्शन करती है।

8. चिकित्सा सुविधा:-

महाविद्यालय के विज्ञान, एन.एस.एस. एवं रेडक्रास सोसायटी के छात्रों द्वारा चिकित्सक के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की छात्र-छात्राओं का सामान्य परीक्षण कराया जाता है। महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा (First aid) की भी व्यवस्था है।

9. खेलकूद :-

छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में खेलकूद से संबंधित विविध गतिविधियों के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है। महाविद्यालय द्वारा खेलकूद संबंधी सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है :-

खेल मैदान : लगभग 8 एकड़

(अ) आउटडोर : क्रिकेट, एथलेटिक्स, खो-खो, वालीबाल, बार्केटबाल, बैडमिन्टन, कबड्डी

(ब) इन्डोर : कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस

10. रेमेडियल/ट्यूटोरियल/विशेष कक्षाएँ :-

इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा हर कक्षा के कमजोर एवं दैदीप्यमान छात्रों का पहचान कर उनके लिए आवश्यकता अनुसार रेमेडियल/ट्यूटोरियल/विशेष कक्षाएँ ली जाती हैं।

11. अतिथि व्याख्यान :

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में व्याख्यान हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

छात्र संघ

महाविद्यालय में प्रति वर्ष विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा के प्रोत्साहन हेतु हेमचंद्र यादव महाविद्यालय दुर्ग के अध्यादेश क्रमांक 1 के अनुसार छात्र संघ गठित किया जाता है।

श्रेष्ठ विद्यार्थी

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर एक-एक छात्र एवं छात्रा का चयन सर्वोत्तम विद्यार्थी (best Student) के रूप में किया जाता है। चयन हेतु मापदण्ड प्राचार्य द्वारा गठित समिति तय करती है।

परिचय पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है , जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटो लगाना भी अनिवार्य है विद्यार्थी अपने परिचय पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा । एक विद्यार्थी को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा ।

शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ

N.S.S (राष्ट्रीय सेवा योजना) :

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संचालित है । इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तर दायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना विकसित कर उनके व्यक्तित्व का विकास करना है । इस आयोजन के तहत नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है । नियमित गतिविधि के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर एवं आस-पास की साफ-सफाई, वृक्षारोपण, पौध संरक्षण, सद्भावना रैली, प्रेरणा रैली एवं विचारगोष्ठी का आयोजन किया जाता है । विशेष शिविर का आयोजन सात दिनों के लिए किसी चयनित ग्राम में किया जाता है जिसमें ईकाई के 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की सहभागिता होती है ।

Red Cross Society रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में रेडक्रास सोसायटी का गठन किया गया है । जिसका मूलभूत सिद्धांत 1. मानवता 2. निष्पक्षता 3. तटस्थता 4. स्वतंत्रता 5. स्वयं प्रेरित सेवा 6. एकता 7. सर्वव्यापकता है इसके साथ ही साथ रेडक्रास सोसायटी के उद्देश्य को अधिक से अधिक व्यापक बनाया गया है जिसमें समस्त बीमार (रुग्ण) और पीड़ितों को युद्ध के समय या शांतिकाल में सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है ।

रेडक्रास में शांतिकाल के मुख्य कार्य निम्नांकित है -

1. शरीर एवं स्वास्थ्य उन्नति
2. रोगों पर प्रतिबंध
3. पीड़ितों की सहायता

गतिविधी समितियाँ (Activity Societies)

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियाँ का गठन किया जाता है ।

1. सांस्कृतिक समिति (Cultural Society)
2. सामाजिक गतिविधि समिति (Social Activity Society)
3. विज्ञान समिति (Science Club)
4. क्रीड़ा समिति (Sports Society)
5. लैंगिक मामलों की समिति (Gender Issue Society)
6. शिक्षक पालक समिति :- पालकों एवं शिक्षकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान , विद्यार्थियों के विकास एवं समस्याओं के समाधान के लिए पालक शिक्षक समिति गठित की जाती है, जिसकी बैठक वर्ष में अगस्त , अक्टूबर और दिसम्बर के तीसरे शनिवार को 3.00 बजे दोपहर को आयोजित की जाती है ।
7. एन्टी रैगिंग समिति :- महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले कनिष्ठ विद्यार्थी को वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किसी भी तरह से परेशान न किया जावे । इस हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति गठित की जाती है, जो इस हेतु सावधानी पूर्वक निगरानी रखती है । महाविद्यालय में रैगिंग संबंधी कोई समस्या नहीं है । फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से यह समिति गठित की जाती है ।
8. पुरस्कार वितरण समारोह :- वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षकों की एक समिति के द्वारा अनुशंसित विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है ।
9. I.Q.A.C.(आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ):- महाविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन आदि की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की गठन की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी महाविद्यालय के प्राध्यापक भूतपूर्व छात्रों व स्टाफ होल्डर मिलकर महाविद्यालय के विकास हेतु समय- समय पर अपना सुझाव व मार्ग दर्शन प्रदान करती है ।
10. आन्तरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ :- इस महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ के लिए प्राध्यापकों की एक समिति गठित की जाती है इस समिति के द्वारा हर माह होने वाली यूनिट टेस्ट, तिमाही एवं छमाही परीक्षाएँ संचालित की जाती है । इसके अतिरिक्त समिति छात्रों के विभिन्न शैक्षणोत्तर गतिविधियों का भी मूल्यांकन करती है ।

11. **Campus WiFi:-** महाविद्यालय में Campus WiFi:- सुविधा उपलब्ध है
12. महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के शिक्षण कौशल में वृद्धि हेतु इन्टरनेट व एल.सी.डी. प्रोजेक्टर युक्त सेमीनार हाल की सुविधा है, जिसमें प्राध्यापक एवं छात्र छात्राओं के मध्य समय-समय पर विभिन्न बिन्दुओं पर परिचर्चा की जाती है।
15. जिम्नेजियम :- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने हेतु जिम की सुविधा उपलब्ध है।
16. महाविद्यालय को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जोड़कर विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पाँच में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस.कैम्प/खेलकूद/रेडक्रास सोसायटी/राज्यस्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. उपस्थिति के प्रथम गणना 31.10.2019 तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को सूचना पटल पर सूचना दी जावेगी।
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17.02.2020 तक की जावेगी।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे।

रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में "छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001" पारित किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

परिभाषा :-रैगिंग से अभिप्राय है कि है किसी छात्र/छात्रा द्वारा मजाकपूर्ण व्यवहार से वा अन्य प्रकार से उत्प्रेरित,

बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित

होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से रोकना, आपराधिक, दोषपूर्ण, अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति

पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण, अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध,

क्षति या आपराधिक बल के प्रयोग।

रैगिंग का प्रतिषेध :-किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्ष: वा परोक्ष वा अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग

नहीं लेगा।

अपराधी का विचारण :-

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा

छात्र/ छात्रा के निष्कासन के लिए निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधिन अपराध के लिए अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र / छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।

ऐसे छात्र /छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अन्तर्गत- कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया-कलापों में संलग्न जिससे नये छात्र के गुस्सा, अनावश्यक परेशाना, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका व भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतः नहीं कर सकता /सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छ.ग. राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002,

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1995 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है। किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना जो मानव मर्यादा के विपरीत हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव, भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप :-

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है,संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है:-

स्पष्ट आदेश :-

- ★ सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए।
- ★ सामूहिक कवायद करने के लिए।
- ★ सीनियरों के क्लास-नोट्स उतारने के लिए।
- ★ अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए।
- ★ सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए।
- ★ अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए।
- ★ नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
- ★ शराब,उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- ★ कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ★ ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- ★ नग्न करना, चुंबन लेना आदि।
- ★ अन्य अश्लीलताएँ करना।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिए जाने वाले दंड :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा-परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से प्रवेश निरस्त किया जाना।
8. आर्थिक दंड रु.25000/- तक।

उपर्युक्त ये यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

1. उपस्थिति विवरण

:

उपस्थिति प्रतिशत

विषय

अ)

ब)

स)

द)

इ)

2. प्रायोगिक कार्य का विवरण

रिमांक

अ)

ब)

स)

3. ट्यूटोरियल विवरण

:

4. सेमिनार/परिचर्चा में भागीदारी

:

5. आंतरिक परीक्षाओं के प्राप्तांक (प्रतिशत में) :

:

Subject	Unit test				Quarterly	Half Yearly	Pre-Final	Average
	1	2	3	4				
(i)					5	6	7	
(ii)								
(iv)								
(v)								
(vi)								
(vii)								

6. कमजोर विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु किये गये प्रयास का विवरण :

:

:

7. विद्यार्थी का समग्र व्यवहार एवं आचरण :

प्राध्यापक के हस्ताक्षर

अमहाविद्यालयीन छात्र के रूप में प्रायोगिक कार्य हेतु पंजीयन आवेदन

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय

गुरुर, जिला - बालोद (छत्तीसगढ़)

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं आपकी संस्था से अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्रा के रूप में हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) की अधोलिखित परीक्षा में शामिल होना चाहता/चाहती हूँ। कृपया प्रायोगिक कार्य हेतु मेरा नाम पंजीकृत करने का कष्ट करें। मैं निर्धारित शुल्क जमा करने के लिये तैयार हूँ।

1. पूरा नाम :
 2. अभिभावक का पूरा नाम :
 3. पत्र व्यवहार का पता :
 - :.....मौ.न
 4. कक्षा (जिसमें प्रायोगिक कार्य हेतु अनुमति).....
 5. विषय (जिसमें प्रायोगिक कार्य हेतु अनुमति):.....
- प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त जानकारी सत्य है

दिनांक

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रायोगिक कार्य हेतु अनुमति के लिए अनुशंसा की जाती है।

विभागाध्यक्ष/प्रवेश प्रभारी (प्रायोगिक) प्राध्यापक

प्रायोगिक कार्य हेतु अनुमति दी जाती है

प्राचार्य

शास. नवीन महाविद्यालय गुरुर

कार्यालयीन उपयोग के लिए

परीक्षा शुल्क की राशि (अंको में.....(शब्दों में)

..... दिनांक...../...../.....रसीद क्रमांक.....

प्रभारी लिपिक के हस्ताक्षर

शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरुर, जिला - बालोद (छ.ग.)

आवेदन पत्र क्रमांक....**848**

नियमित प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

प्रवेश क्रमांक

(आवेदन - पत्र आवेदक द्वारा स्वयं भरा जावे)

दिनांक

(अपूर्ण /अस्पष्ट आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे । निर्धारित खाने पर सही का निशाल लगाये)

वर्ग :-

1. सामान्य 2. अन्य पिछड़ा वर्ग 3. अनुसूचित जाति 4. अनु जनजाति 5. विकलांग

कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए -		पूर्व उत्तीर्ण कक्षा का विवरण	
संकाय	<input type="text"/>	संकाय	<input type="text"/>
कक्षा	<input type="text"/>	कक्षा	<input type="text"/>
वैकल्पिक विषय		वर्ष	<input type="text"/>
1.....			
2.....			
3.....			
अनिवार्य विषय- 1 हिन्दी भाषा		प्राप्तांक/पूर्णांक	<input type="text"/>
2. अंग्रेजी भाषा		प्रतिशत	<input type="text"/>
3. पर्यावरण अध्ययन		बोर्ड /वि.वि.का नाम.....	
		रोल नं.	
		नामांकन नं.	

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :.....

(अंग्रेजी में) :.....

2. जन्मतिथि

(अंको में)

D D M M Y Y Y Y

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3. लिंग

1. पुरुष

2. महिला

3. अन्य

4. पिता का नाम

.....

5. माता का नाम

.....

6. पिता /अभिभावक का नाम/ व्यवसाय

.....

7. वार्षिक आय

.....

8. गरीबी रेखा के नीचे अथवा ऊपर

.....

9. स्थायी पता

.....

मोबा नं.

10. स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता.....
.....मोबा नं..... 848
11. आधार कार्ड नम्बर.....
12. जाति.....वर्ग सामान्य/अ.पि.व/अजजा/अजा
13. धर्म.....राष्ट्रीयता.....
14. विकलांग है या नहीं हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
15. पिता/माता शासकीय सेवा में हो तो पदनाम
श्रेणी-प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कहां सेवारत है
16. क्या गत 5 वर्ष में आवेदक का अध्ययन क्रम निरन्तर जारी रहा है ? यदि नहीं तो कारण एवं अवधि स्पष्ट करें।
.....
17. (अ) शैक्षणिक - पाठ्येत्तर गतिविधियाँ, खेलकूद, एन .सी.सी. एन.एस.एस. आदि गतिविधियों में आवेदक द्वारा अर्जित उल्लेखनीय (प्रमाण पत्र के साथ अंकित करें).....
(ब) आवेदक को प्राप्त छात्रवृत्ति आदि का पूर्ण विवरण
16. क्या आवेदक ने गत वर्ष या इसके पूर्व इस महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण
1 कक्षा 2. सत्र.....
3. (अ) अध्ययन अवधि (ब) अध्ययन कक्षाएं.....
(स) क्या आवेदक ने स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है हां / नहीं
यदि हां तो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

संलग्न:- अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची-(जो आवश्यक न हो उसे काट दें)

1. विद्यालय/विश्वविद्यालय महाविद्यालय छोड़ने का मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो कापी।
2. नए छात्र-छात्राओं के लिए पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रति। गत वर्ष के नियमित छात्र-छात्राएँ अपनी परिचय-पत्र संलग्न करें।
3. पिछली समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची का प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. निवास का प्रमाण पत्र (यदि स्थानान्तरण प्रमाण -पत्र से तीन वर्षों तक छ.ग. में अध्ययन का उल्लेख हो, तो इस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. जाति प्रमाण पत्र।
6. यदि पिछली परीक्षा असंस्थागत छात्र (प्रायवेट) के रूप में उत्तीर्ण की हो तो व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण -पत्र संलग्न किये जावे
7. माता/पिता यदि शासकीय सेवा में हो तो उसका प्रमाण पत्र।
8. हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग अथवा छ.ग. बोर्ड को छोड़ कर अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) संलग्न करना होगा।

9. मृत शासकीय कर्मचारी का पुत्र होने का प्रमाण-पत्र यदि हो तो संलग्न करें।

10. जन्म प्रमाण पत्र

टीप :- आवेदक कक्षा 10 वीं से पिछली समस्त परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों की फोटो कापी स्वपरमाणित कर अनिवार्यतः संलग्न करें।

दिनांक

आवेदक/आवेदिका के पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम

आवेदक का घोषणा-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह आवेदन-पत्र मैंने स्वयं भरा है तथा इसमें दी गई सारी जानकारियाँ सत्य हैं। मैं वचन देता/देती हूँ उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित उपनियमों एवं आचरण संहिता का पालन करूंगा/करूंगी। मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य पाए जाने पर यह प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक

आवेदक/आवेदिका के पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम

पिता/अभिभावक का घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने भलिभाँति अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में उनके अध्ययनकाल में उसके आचरण, कार्यों, उपस्थिति तथा उत्तरोत्तर प्रगति और व्यवहार के संबन्ध को विशेष ध्यान दूंगा एवं वर्ष में दो बार प्राचार्य से मुलाकात करूंगा तथा इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा तथा नियमों का अनुशासित रहकर निष्ठापूर्वक अनुपालन मेरे पाल्य द्वारा किया जावेगा, अन्यथा स्थिति में उसके विरुद्ध अनुशासन का कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

दिनांक

पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम

-: एन्टी रैगिंग संबंधी पालक /अभिभावक की घोषणा पत्र :-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा /होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएँ ज्ञात है यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाता है /जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से मैं सहमत रहूंगा/रहूंगी।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

नोट :- एन्टी रैगिंग के संबंध में छात्र / छात्रा व पिता / अभिभावक द्वारा आनलाईन वचन-पत्र की पश्ति प्रवेश लेते समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। www.antiragging.in या www.amanmoment.org से आनलाईन वचनपत्र भरकर printed महाविद्यालय में जमा करें।

आफिस उपयोग हेतु

मूल अभिलेखों से मिलाकरके इस प्रवेश प्रपत्र की जांच की गई और पात्रता की स्थिति में उन्हे कक्षा.....भाग.....में अस्थाई प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

.....
प्राचार्य के हस्ताक्षर

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

प्रवेश अधिकारी

दिनांक.....

(लेखा विभाग के लिए)

कक्षा का अनुक्रमांक

आवेदक से रुपये..... रसीद क्रमांक..... दिनांक.....

रुपये..... रसीद क्रमांक..... दिनांक.....

योग : रुपये प्राप्त हुए

शुल्क लिपिक

दिनांक

शासकीय नवीन महाविद्यालय गुरुर

जिला - बालोद (छ.ग.)

848

पावती


छात्र का नाम _____

कक्षा _____ के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर





Govt. Naveen College Gurur

email id - gururgovernmentcollege@gmail.com

Website - www.gcgurur.org.in

मूल्य रु.
50/-